12 6/17 आज यह पत्रावली नियम वाहियता में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी कमल का छायाप्रति अप्रार्थि की ओर से किसी पेशी प्रा.पत्र में नहीं लगी प्रार्थी का प्रा.पत्र अस्वीकृत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र वादी अदालत निगरानी 20/00/2014 तरफ निराकरण किया जाता है। पत्रावली नस्ती होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

Scanned by CamScanner